FAQ

प्रश्न : ऑनलाइन आवेदन भरने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर : एप्लिकेशन चार स्टेप में भरी जाती है जिसमें :–

प्रथम : प्रॉपट्री से सम्बन्धित जानकारी,

द्वितीय : किस्तों की जानकारी,

तृतीय : भुगतान एवं किस्तों के अतिरिक्त की गई मॉग की जानकारी,

चतुर्थ : प्रोसेसिंग फीस तथा डाउन पेमेंट की धनराशि का ऑनलाइन भुगतान।

उपरोक्त के पश्चात आवेदन को चैकर द्वारा चेक किया जायेगा तत्पश्चात एप्रूवर को एप्रूवल हेतु चैकर द्वारा प्रेषित कर दिया जाता है तत्पश्चात एप्रूवर द्वारा एप्रूव किया जायेगा। जिसके उपरान्त ओ.टी.एस. लेटर जनरेट हो जायेगा। जिसे आवेदन कर्ता द्वारा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रश्न : डाटा की फीडिंग के बाद त्रुटि सुधार करने के लिए क्या विकल्प है ?

उत्तर : डाटा एंट्री करने के बाद भुगतान से पूर्व आवेदन को देखा जा सकता है तथा कोई भी त्रुटी सुधार, आवेदक/मेकर द्वारा किया जा सकता है तथा भुगतान के उपरान्त चैकर व एप्रूवर द्वारा मॉडिफाई बटन से त्रुटी सुधार किया जा सकता है।

प्रश्न : डाटा एण्ट्री के समय डाटा प्रत्येक स्टेप पर कैसे सेव होता है ?

उत्तर : प्रत्येक पेज पर Proceed Button दिया गया है जिसे दबाते ही डेटा सेव होने के पश्चात अगले स्टेप पर जाता है।

प्रश्न : डाउन पेमेंट/प्रोसेसिंग फीस की राशि स्वतः आ रही है।

उत्तर : डाउन पेमेंट व प्रोसेसिंग फीस की धनराशि शासन द्वारा निर्धारित है, जिसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए शासन द्वारा प्रेषित जी0ओ0 को पढ़े जो कि इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न : डाटा फीडिंग के बाद आवेदन एप्रूव कैसे होता है ?

उत्तर : डाटा फीडिंग के बाद फाइल चैकर को भेजी जाती है तथा चैकर द्वारा आवेदन चैक करने के उपरान्त एप्रूवर को भेजी जाती है इसके उपरान्त एप्रूवर के पास एप्रूव का ऑप्शन आता है तथा एप्रूवर आवेदन को एप्रूव कर ओ.टी.एस. लेटर जनरेट करता है।

प्रश्न : मूलधन (प्रिंसीपल) के कॉलम में क्या भरें ?

उत्तर : मूलधन के कॉलम में वह धनराशि लिखी जानी है जिसके ऊपर किस्तों की गणना की गयी है।

प्रश्न : साधारण ब्याज (सिम्पल इन्ट्रेस्ट) के कॉलम में क्या भरें ?

उत्तर : साधारण ब्याज के कॉलम में वह ब्याज दर लिखी जानी है जिस ब्याज दर से किस्तों की गणना की गयी है।

प्रश्न : आवेदन का पेमेंट कब होना है ?

उत्तर : ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन पूर्ण भरने के उपरान्त पेमेंट कराना होगा जिसके फलस्वरूप आवेदन आगे प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् के पास चला जायेगा।

ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् के स्टाफ द्वारा भरा जायेगा तथा आवेदन के साथ ही फीस की धनराशि प्राप्त कर रसीद जारी की जायेगी।

प्रश्न : ऑफलाइन आवेदन के लिए कोई फार्म की व्यवस्था है?

उत्तर : पोर्टल पर डाउनलोड के ऑप्शन के अन्तर्गत एक ऑफलाइन फार्म दिया गया है, जिसे आवेदक द्वारा भरकर प्राधिकरण/आवास विकास परिषद में दिया जा सकता है।

प्रश्न : प्राधिकरण द्वारा मूलधन की धनराशि कैसे सही की जाये ?

उत्तर : सर्वप्रथम आवेदन को खोलें तथा यह ज्ञात करें की आवेदन किस के पास है। आवेदन जिसके पास है वह व्यक्ति सेन्ड बटन के बगल से मोडिफाई बटन द्वारा त्रुटि सुधार कर सकता है। परन्तु यह ज्ञात रहे कि मूलधन की राशि में परिवर्तन करने पर उसका प्रभाव किस्तों पर होगा जिसके फलस्वरूप किस्तों को दोबारा जनरेट करना होगा।

प्रश्न : क्या रजिस्ट्रेशन, आबंटन, कब्जा आदि की डिमाण्ड को किस्तों की डिमाण्ड के साथ फीड किया जा सकता है?

उत्तर : नहीं। रजिस्ट्रेशन मनी आदि को "Other than installment" वाली ऑप्शन में फीड करना है।

प्रश्न : ओ.टी.एस. की राशि ऋणात्मक (–) आ रही है।

उत्तर : यदि ओ.टी.एस. की राशि ऋणात्मक (–) आ रही है तो निम्न बिन्दुओं को जॉचें :–

- दर्ज की गई मूलधन की राशि की जाँच कर लें। यदि मूलधन की राशि गलत डाली गयी होगी तो किस्तें गलत बनेंगी व ओ.टी.एस. की गणना गलत दर्ज की गयी जानकारी के अनुसार होगी।
- यदि मूलधन की राशि सही है तो भरे गये भुगतानों की जॉच करें। ज्यादा भुगतान होने से ओ.टी.एस. की गणना ऋणात्मक (–) आ सकती है।
- जॉचें क्या किस्तें सही चढ़ायी गयी हैं। किस्तें पूर्ण न होने के कारण भी ओ.टी.एस. की गणना ऋणात्मक (–) आ सकती है।

संक्षेप समाधानः मूलधन की राशि सही प्रकार से जॉच कर ही डालें यदि सॉफ्टवेयर में गलत जानकारी डाली जायेगी तो सॉफ्टवेयर द्वारा भी गलत जानकारी ही प्रदर्शित होगी यदि जाँच के उपरान्त भी ओ.टी.एस. ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि ओ.टी.एस. में एडवांस जमा है।

प्रश्न : नोडल अधिकारी क्या है नोडल अधिकारी बनाने से क्या होगा ?

उत्तर : प्राधिकरण में नोडल अधिकारी की नियुक्ति का मतलब है कि वह सभी आने वाले आवेदनों को सर्वप्रथम देखेगा तथा आवेदन को सम्बन्धित को ऑनलाइन प्रेषित करेगा।

प्रश्न : सेल्फ फाइनेंस (स्वः वित्तपोषित) योजना के अन्तर्गत जो किस्तें बनाई गयीं हैं उनमें साधारण ब्याज शामिल नहीं है परन्तु किस्त विलम्ब से जमा होने पर दण्ड ब्याज का जो प्रतिशत आवंटी को सूचित किया गया है उसी दर पर विलम्ब ब्याज लिया जा रहा है। ऐसे मामलों में ओ.टी.एस. हेतु साधारण ब्याज की दर क्या ली जाये तथा ऐसी किस्तें कहाँ दर्ज की जायें तथा मूलधन क्या दर्ज किया जाये ?

उत्तर : ऐसे प्रकरणों में मूलधन शून्य डाला जाये तथा किस्तों को "Demand other than installments" के अन्तर्गत डाला जाये। इनको "Equal Installment" अथवा "Unequal Installment" में कदापि न दर्ज किया जाये।

प्रश्न : नीलामी के प्रकरणों में कैश डाउन भुगतान पद्धति पर आवंटित प्रकरण में डिमाण्ड कहॉ पर दर्ज की जाये तथा मूलधन क्या दर्ज किया जाये ?

उत्तर : ऐसे प्रकरणों में मूलधन शून्य डाला जाये तथा डिमाण्ड को "Demand other than installments" के अन्तर्गत डाला जाये। इनको "Equal Installment" अथवा "Unequal Installment" में कदापि न दर्ज किया जाये।